Kgcci

KUMAUN GARHWAL
CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
UTTARAKHAND

CHAMBER HOUSE, INDUSTRIAL ESTATE, BAZPUR ROAD, KASHIPUR, DISTT. U. S. NAGAR (UTTARAKHAND)
Phone : (05947) 262478, Fax : (05947) 262078, E-mail : kgcci10@gmail.com, Website : www.kgcci.in

प्रेस विज्ञप्ति

दिनाँक : 27.11.2025

कुमायूँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (केजीसीसीआई) के अध्यक्ष श्री पवन अग्रवाल द्वारा अवगत कराया गया कि केजीसीसीआई द्वारा पिछले लम्बे समय से उठाई जा रही महत्वपूर्ण मांग के क्रम में राज्य कैबिनेट द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अंतर्गत महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने तथा कार्यस्थलों पर सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित कर प्रदेश में महिलाओं को रात्रि पाली (रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक) कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि इस व्यवस्था से महिला कर्मचारियों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा राज्य की जीडीपी में वृद्धि होगी। उन्होंने यह भी बताया कि इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी, महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी और उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी को एक सुरक्षित ढांचा प्राप्त होगा।

उन्होंने आगे बताया कि केजीसीसीआई द्वारा पूर्व में भी शासन स्तर पर यह मांग उठाई गई थी कि श्रम विभाग के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पंजीकरण हेतु कर्मचारियों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 की जानी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक छोटे उद्योग इस श्रेणी में सम्मिलित हो सकें। औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए राज्य कैबिनेट द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए पंजीकरण हेतु कर्मचारियों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है। यह निर्णय राज्य के उद्योगों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।

श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए ये निर्णय राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश आकर्षण तथा व्यापारिक माहौल को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होंगे। इससे न केवल वर्तमान औद्योगिक इकाइयों को लाभ मिलेगा, बल्कि प्रदेश में नए उद्योगों को स्थापित करने में भी प्रोत्साहन मिलेगा।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी सरकार उद्योग जगत की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए ऐसे ही सकारात्मक और व्यवहारिक निर्णय लेती रहेगी, जिससे प्रदेश में रोजगार सृजन और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी।

पवन आग्रवाल
अध्यक्ष